<u>न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर</u> (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103000882016</u> <u>दांडिक प्रकरण क.-180/16</u> संस्थापित दिनांक-17.06.2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :— आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।
अभियोजन
विरुद्ध
01—शाकू लाल पुत्र श्री मुन्नीलाल यादव उम्र 32 साल निवासी
कनावटा
02—वल्लू यादव पुत्र दयाराम यादव उम्र 26 साल निवासी
कनावटा
आरोपीगण
राज्य द्वारा ः– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा :— श्री चौरसिया अधिवक्ता।

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 13.02.2017 को घोषित)</u>

- 01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 324, 323, 294, 506, 34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।
- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादि की धारा 294, 323/34, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादि की धारा 324/34 के संबंध में पारित किया जा रहा है।
- 04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी पप्पू ने दिनांक 16.04.2016 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि टियारा कंपनी जो कनावटा रोड बना रही थी वह उसमें चौकीदारी का काम करता था जिसमें कंपनी का सामान डीजल, सीमेंट, लोहा आदि रहता है तब घटना दिनांक को रात दस बजे तीन चार लोग आए तो उसने आवाज लगाई कि कौन है तब दोनों आरोपीगण मादरचोद बहनचोद की गाली देकर बोले कि शांत रह, फिर दोनों आरोपीगण व दो और ने उसकी लाठी व कुल्हाडी से मारपीट कर उसे चोटें पहुंचाईं जिससे उसे चोटें आईं। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 185/16 के अंतर्गत भादिव की धारा 324, 323, 294, 506, 34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 323/34, 324/34, 506 भाग दो के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 15.04.16 को समय रात 10.00 बजे ग्राम कनावटा स्थित टियारा कंपनी का केंप थाना चंदेरी पर अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी पप्पू को कुल्हाडी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 पप्पू की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 पप्पू ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को उसका आरोपीगण से वाद विवाद हो गया था। जिस पर से उसने आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी 01 लेखबद्ध करा दी थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसके साथ कुल्हाड़ी से मारपीट की थी। उपरोक्त साक्षी की साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी की कुल्हाड़ी से मारपीट की गई थी।

- 09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 324/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।
- 12— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)